न्यायालय श्री मान् माननीय राजस्व मंण्डल ग्वालियर म0प्र0

गोरेलाल पिता छुन्नू पटेल उम्र 61 वर्ष निवासी ग्राम नौगवा थाना तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0

निग — 1190 — III — 16

.... आवेदक /पुनिरीक्षणकर्ता

बनाम

1. गोलन्दी बाई पति मोलई कुर्मी पत्नी छुन्नू कुर्मी
2. लालमणि पिता छुन्नू कुर्मी दोनो निवासी ग्राम नौगवा थाना तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0

.... अनावेदक /उत्तरदाता

पुनिरीक्षण विरूद्व निर्णय व आदेश अनुविभागीय अधिकारी मानपुर के अंतरिम आदेश रा0 प्र0 क्रमांक 57/अपील/13–14 आदेश दिनांक 16/03/16 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 50(1) म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959।

मान्यवर,

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य यह है कि आराजी ग्राम बघडों पटवारी हल्का नौंगवा आराजी खसरा नं0 32 रकवा 2.002 हे0, कुल एक किता कुल रकवा 2.002 हे0 था जिसे स्व0 बोधराम पिता रामसखी कुर्मी निवासी नौंगवा द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 01 दिनांक 18/02/90 के अनुसार उत्तरदाता क्रमांक 01 गोलन्दी एवं उसके भाई रामसोहावन के सह खाते की सम्पूर्ण भूमि का नामांतरण अपने नाम करा लिया जिसमें स्व रामसोहावन एवं गोलन्दी का 1/2 हक हिस्सा होता था जिसकी जानकारी आवेदक एवं रामसोहावन को मिली उस समय स्व0 रामसोहावन आवेदक के घर मे ही रहता था आवेदक द्वारा उसकी सेवा सहाई सम्पूर्ण परवरिश आवेदक करता था स्व0 रामसोहावन द्वारा आवेदक को कहा गया कि बोधराम कुर्मी हम लोगों के हक हिस्से की भूमि अपने नाम करा लिया है। मैं व गोलन्दी बृद्व हैं तुम अदालत लडो अदालती सम्पूर्ण खर्च वहन

गोरेलाल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1190-तीन/2016 जिला - उमरिया

गोरेलाल विरूद्ध गोलन्दी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मानपुर के प्रकरण क्रमांक 57/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 16-03-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला उमरिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को कलेक्टर जिला उमरिया के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	